<u>माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश</u>

वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत हिंदी शब्दावली के सरकारी संस्थाओं (जिनमें एनसीईआरटी भी सम्मिलित है) द्वारा असफल उपयोग के संबंध में दायर जनहित याचिका के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपना आदेश दिया है। इस याचिका को इसलिए भी खारिज कर दिया गया था क्योंकि भारत सरकार ने याचिकाकर्ता की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। याचिका में, एनसीईआरटी द्वारा निर्मित तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा स्वीकृत शब्दावलियों के मध्य अंतर्विरोधों के उदाहरणों को रेखांकित किया गया था। इस याचिका में एनसीईआरटी को एक पक्षकार बनाया गया है क्योंकि एनसीईआरटी ने अपनी शब्दावली में जो परिवर्तन किए हैं उन्हें वह अपना अधिकार मानती है तथा शब्दावली आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली को मानने के लिए वह किसी बाध्यता से सहमत नहीं है। वह अपने स्तर पर आयोग की शब्दावली को एक संदर्भ बिंदु के रूप में ही देखती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार भारत सरकार ने उस प्रस्ताव की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की है जिसके अंतर्गत शब्दावली आयोग की स्थापना की गई है। भारत सरकार ने शब्दावली आयोग के क्रियाकलापों पर व्यय की जाने वाली धनराशि का ब्यौरा भी प्रस्तुत किया है। शब्दावली आयोग की स्थापना के प्रस्ताव में यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग ऐसी सर्वसम्मत तकनीकी शब्दावली का निर्माण करेगा जो हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में संपूर्ण देश में प्रचलित हो सके।
अन्य उद्देश्यों-जैसे विश्वविद्यालयी स्तर पर पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण, पठन सामग्री का निर्माण तथा सभी पाठ्य विषयों की संदर्भ सामग्री का निर्माण आदि के अतिरिक्त, आयोग का मुख्य ध्येय तकनीकी विषयों की शिक्षा, हिंदी भाषा के माध्यम से संभव बनाना है। इस प्रकार तकनीकी विषयों में हिंदी भाषा माध्यम के सर्वस्वीकृत रूप को संभव बनाने की आयोग की मंशा पर शक नहीं किया जा सकता। इस प्रकार एक शब्दावली आयोग के गठन और उस पर व्यय की जाने वाली धनराशि का औचित्य ही समाप्त हो जाता है यदि सरकार के अधीनस्थ कार्य करने वाली संस्थाएं आयोग द्वारा निर्मित शब्दावली का उपयोग न करें। अगर एनसीईआरटी जैसी संस्थाएं अपने स्तर पर विशेषज्ञों की मदद से ऐसे कोशों का निर्माण कर रहीं हैं तथा धनराशि भी व्यय कर रहीं हैं तब आयोग द्वारा किया जाने वाला कार्य एवं व्यय वाजिब नहीं माना जाएगा।
इसलिए जब तक शब्दावली आयोग अपना कार्य कर रहा है तब तक उसके द्वारा निर्मित शब्दावली का उपयोग एनसीईआरटी तथा अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा तकनीकी विषयों की पुस्तकें तैयार करने में करना चाहिए।

(सुमन बाधवा) (मधु सक्सैना)
न्यायालय परिवीक्षक न्यायालय परिवीक्षक